दिनांक 11.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 11/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना बन्थरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.11.2022 को थाना बन्थरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शान्तिनगर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हफीजुर्रहमान उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बन्थरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बन्थरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हफीजुर्रहमान उर्फ मुन्ना निवासी पैगम्बरपुर थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी, हालपता शान्तिनगर थाना सरोजनीनगर कमिश्नरेट लखनऊ।

जनपद गाजियाबाद/थाना सिहानीगेट

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 हजार रूपये नगद**
- **सोने के आभूषण**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 11.11.2022 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भाटिया रोड के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का

प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—लवली उर्फ लक्ष्मण 2—राहुल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 3—कपिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 15 हजार रूपये नगद, सोने के आभूषण, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त लवली उर्फ लक्ष्मण के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद के थाना सिहानीगेट पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लवली उर्फ लक्ष्मण निवासी मोहल्ला श्याम सिंह विहार कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

2—राहुल निवासी मोहल्ला श्याम सिंह विहार कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

3—कपिल निवासी मोहल्ला श्याम सिंह विहार कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—15 हजार रूपये नगद।

2—सोने के आभूषण।

3—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद बदायूं/थाना उसहैत

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11.11.2022 को थाना उसहैत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—विक्रम उर्फ विक्की सहित अभियुक्त 2—अवनीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विक्रम उर्फ विक्की के विरूद्ध जनपद बदायूं के थाना उसहैत पर हत्या, हत्या का प्रयास आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त अवनीश के विरूद्ध जनपद बरेली व बदायूं के विभिन्न थानों पर डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम उर्फ विक्की थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0—351/2022 धारा 147/148/149/452/302/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना उसहैत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विक्रम उर्फ विक्की निवासी ग्राम सथरा थाना उसहैत जनपद बदायूं।

2—अवनीश निवासी ग्राम सथरा थाना उसहैत जनपद बदायूं।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–4/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) जनपद सीतापुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 25(1–बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुभाष को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना बीजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 53 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/सी0ए0डब्लू0 सोनभद्र द्वारा थाना बीजपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुमेश्वर को 15 वर्ष के सश्रम कारावास व 53 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–थाना एत्माददौला, आगरा से रू0 20,000/– का पुरस्कार घोषित/ वांछित अपराधी भोला चौधरी जनपद आगरा से गिरफ्तार</u>

दिनांक 10–11–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश ने थाना एत्माददौला, आगरा से मु0अ0स0 894/2018 धारा 2/3 गैग0 एक्ट मे वांछित रू0 20,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी भोला चौधरी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

भोला चौधरी पुत्र हरदम सिंह निवासी गोकुल नगर, पोस्ट ऑफिस के पीछे, थाना एत्माददौला, आगरा

बरामदगीः

1—एक अदद मोबाइल फोन

2—300 रू0

गिरफ्तारी का स्थान / समय

जिला आगरा के थाना एत्माददौला, क्षेत्रान्तर्गत ईट मंडी हाथरस रोड के पास, दिनांक 10—11—2022 को समय 22.20 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार / पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर लूट, चोरी व भयादोहन आदि अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों / टीमों को अभिसूचना संकलन एव कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, के पर्यवेक्षण व श्री उदय प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व मे एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना एत्माददौला, आगरा से मु0अ0स0 894 / 2018 धारा 2 / 3 गैग0 एक्ट मे वांछित रू0 20,000 / —का पुरस्कार घोषित अपराधी भोला चौधरी थाना क्षेत्र एत्माददौला, आगरा के ईट मंडी हाथरस रोड के पास कहीं जाने की फिराक मे खड़ा है। इस सूचना को विकसित करते हुए उपनिरीक्षक धूम सिंह, मु0आ0 दिनेश गौतम, मु0आ0 अरविन्द सिंह मु0आ0 बृजराज सिंह, आरक्षी प्रदीप कुमार व आरक्षी विवेक कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा की एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच कर मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त भोला उपरोक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह पूर्व कई बार चोरी व अवैध असलहा रखने आदि अपराधों मे जेल जा चुका है। थाना एत्माददौला, आगरा मे पंजीकृत 894/2018 धारा 2/3 गैग0 एक्ट मे पुरस्कार घोषित के कारण वह लगातार इधर–उधर छिपता फिर रहा था। आज किसी काम से जा रहा था कि गिरफ्तार कर लिया गया।

भोला चौधरी पुत्र हरदम हरदम सिंह निवासी उपरोक्त अब तक का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–

1	102/2018	धारा 380/411/452 भ0द0वि0	थाना एत्माददौला आगरा
2	293/2018	धारा 380/411/452 भ0द0वि0	थाना एत्माददौला आगरा
3	299/2018	धारा 380/411/452 भ0द0वि0	थाना एत्माददौला आगरा
4	302/2018	धारा 380/411/452 भ0द0वि0	थाना एत्माददौला आगरा
5	445/2020	धारा 174 ए भ0द0वि0	थाना एत्माददौला आगरा
6	452/2018	धारा 401/411 भ0द0वि0	थाना एत्माददौला आगरा
7	454/2018	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	थाना एत्माददौला आगरा
8	541/2017	धारा 102/41 द0प्र0स0 व 414 भ0द0वि0	थाना एत्माददौला आगरा
9	894/2018	धारा 2/3 गैग0	थाना एत्माददौला आगरा
10	467/2017	धारा 379 भ0द0वि0	थाना सादाबाद हाथरस

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को एत्माददौला, आगरा मे पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 894/2018 धारा 2/3 गैग0 एक्ट मे दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही थाना एत्माददौला, आगरा द्वारा की जा रही है।

——————————